अरेराज, पूर्वी चम्पारण। आदेश दिनांक 03.02.2024

दिनांकः 03.02.2024 वाद पुकारा गया। मामले वादी उपस्थित है। प्रतिवादी की तरफ से भी न्यायालय में हाजिरी है। प्रतिवादी के द्वारा आज तक लिखित कथन जमा न करने के कारण उसे प्रतिउत्तर से वंचित किया जाता है।

मामले में प्रतिवादी का दिनांक 30.01.2024 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था परंतु प्रतिउत्तर न प्रस्तुत करने के कारण मामले में प्रतिवादी को प्रतिउत्तर से वंचित कर दिया गया था।

वादी ने अपने आदेश 6 नियम 17 के आवेदन में कहा है कि टंकण की गलती से वाद पत्र में कुछ बातें लिखना छूट गया है और कुछ बातें गलत अंकित हो गयी है । यह कि वाद पत्र के पृष्ठ सं0 13, खाता सं0 67 खेसरा 789 रकवा 0.13.3 धुर उल्लेखित है जिसके खेसरा सं0 789 के उपर खेसरा सं0 788 दर्ज कर दिया जाए इसी प्रकार मद न0 तीन में खाता 66 खेसरा 315 रकवा 3.6.17 धूर के नीचे खाता 66 खेसरा 315 रकवा 0.6.10 दर्ज कर दिया जाए।

प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

उभय पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन तथा प्रतिउत्तर का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा अपने अर्जी नालिस में जो संशोधन चाहा गया है वह संशोधन विचारण प्रारंभ होने के पहले दिया गया है चूंकि कोई भी संशोधन सामान्य स्थितियों में विचारण के पूर्व हो जाना चाहिए परंतु प्रस्तुत मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि वादी द्वारा दिया गया संशोधन औपचारिक प्रकृति के हैं और उसका वाद में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन हेतु आवश्यक हैं अत वादी का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।